



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2019/श्रावण 01, 1941

No. 258]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2019/SHRAVANA 01, 1941

## भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2019

### भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019

फा.सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.042.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 192 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियमन, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 5 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) शासी बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए साधारणतया कम से कम दस दिन की सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना कार्यसूची सहित प्रत्येक सदस्य को, उसके द्वारा बोर्ड को दिए गए भारत में उसके सामान्य पते पर या ईमेल द्वारा भेजी जाएगी:

परन्तु यदि शासी बोर्ड की कोई त्वरित बैठक आयोजित करना आवश्यक हो तो अध्यक्ष द्वारा दस दिन की सूचना का त्याग किया जा सकता है।”

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./144/19]

**टिप्पण:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियमन, 2017, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.007, तारीख 30 जनवरी, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, सं. 35 में तारीख 31 जनवरी, 2017 को प्रकाशित किए गए थे और इनमें अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया है।

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2019

#### Insolvency and Bankruptcy Board of India (Procedure for Governing Board Meetings) (Amendment) Regulations, 2019

**F. No. IBBI/2019-20/GN/REG042.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 192 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (No. 31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Procedure for Governing Board Meetings) Regulations, 2017, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Procedure for Governing Board Meetings) (Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Procedure for Governing Board Meetings) Regulations, 2017, in regulation 5, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted namely:-

“(1) Not less than ten days’ notice shall ordinarily be given for each meeting of the Governing Board and such notice along with agenda shall be sent to every Member at his usual address in India or by e-mail, as furnished by him to the Board:

Provided that if an urgent meeting of the Governing Board is required to be convened, ten days’ notice may be dispensed with by the Chairperson.”

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./144/19]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Procedure for Governing Board Meetings) Regulations, 2017 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG007 dated 30th January, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 35 on 31st January, 2017 and these have not been amended so far.